

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2016/00144

मुकदमा नम्बर 54/2016

दायर दिनांक—04.03.2016

1. छाजूराम पुत्र बालूराम
2. केदारमल पुत्र बालूराम
3. महावीर पुत्र सुण्डाराम
4. गिरधारी पुत्र सुण्डाराम
5. बनवारीलाल पुत्र सुण्डाराम
6. सन्तराम पुत्र सुण्डाराम
7. नारायणी देवी पत्नी भगवानाराम
8. जगदीश प्रसाद पुत्र भगवानाराम
9. रामलाल पुत्र भगवानाराम
10. केशरी देवी पत्नी भोलूराम
11. मदनलाल पुत्र भोलूराम
12. भंवरलाल पुत्र भोलूराम
13. ग्यारसी देवी पत्नी सुन्दरराम
14. रामचन्द्र पुत्र सुन्दरराम जाति माली निवासीगण रुडा मिश्रा वाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़
15. सोनू पुत्र सुन्दरराम
16. मुनेश पुत्र सुन्दरराम नाबालिग जरिये सरंक्षक उनकी माता ग्यारसी देवी पत्नी सुन्दरराम जाति माली निवासी ढाणी रुडा मिश्रा वाली नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
..... वादी

बनाम


1. मांगूराम उर्फ भागाराम पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ढाणी रुडा मिश्रा वाली नवलगढ़ तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
3. अधिशांषी अधिकारी नगर पालिका नवलगढ़

..... प्रतिवादी

दावा – विभाजन

प्रतिनिधत्व:—

- वकील वादी – श्री बाबूलाल वर्मा
प्रतिवादी सं. 1 – इकबालिया जवाब श्री राकेश सारस्वत
प्रतिवादी सं. 2 – एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 3 – श्री नरेन्द्र सिंह


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 20/12/24...

वाद वादी दिनांक 26/09/2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2024/2455 दिनांक 15/07/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला- झुंझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2016/00144

मुकदमा नम्बर 54/2016

दायर दिनांक-04.03.2016

(छाजूराम वगै0 बनाम मांगूराम उर्फ भागाराम वगै0)
दावा – विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 26/09/2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2024/2455 दिनांक 15/07/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 20 माह 12 सन 2024 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिशनर	—	फीस कमिशनर	—
बाबत इजराय हुकमनामा	—	बाबत इजराय हुकमनामा	—